

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकल पीठ दण्डिक अपील संख्या 146/1989
भरतलाल बनाम राजस्थान राज्य।

निर्णय दिनांक :

31 अगस्त, 2009

उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल जैन उप0
परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री एच.पी.सिंह उप0
राजस्थान राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार उप0

न्यायालय द्वारा-

1- अपीलार्थी भरतलाल की ओर से यह अपील, सेशन न्यायाधीश, अलवर के निर्णय दिनांक 24/3/89 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अभियुक्त- अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अपराध के लिये 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गयी है तथा 250/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को तीन माह का कठोर कारावास और भुगतने का आदेश दिया गया है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10/4/86 को अभियुक्त भरतलाल पी0ड01 रामसिंह के पास गया और उसने रामसिंह से कहा कि उसके रुपयों के बदले वह अपने खलियान पर अनाज तुलवा देगा। घटना से 6-7 माह पूर्व रामसिंह पी0ड01 ने भरतलाल अभियुक्त को लगभग 3000/- रुपये दिये थे। इन रुपयों की

अदायगी बैसाख माह में होनी थी। इसी सिलसिले में अभियुक्त ने यह प्रस्ताव दिया था कि वह रुपयों के बदले अपने खलियान में अनाज तुलवा देगा। इसपर रामसिंह अपने जीजा चिम्मनसिंह पी0ड06 के साथ शाम को छह बजे भरतलाल के खलियान पर गया। अभियुक्त उस समय अनाज बरसा रहा था। आठ बजे के लगभग अभियुक्त ने रामसिंह को कहा कि वह बास से तराजू लेकर आता है। इसके बाद अभियुक्त चला गया। रामसिंह व चिम्मनसिंह खलियान में जो एक खाट पड़ी हुई थी उसपर लेट गये। लगभग डेढ़-दो घण्टे के बाद अभियुक्त आया। आते ही उसने चाकू रामसिंह के पेट में मारा। इसपर रामसिंह चिल्लाया तो चिम्मनसिंह ने उसको बचाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने चिम्मनसिंह के भी चाकू की मार दी। इसके बाद भरतलाल ने चाकू से दूसरी चोट उसकी बांयी भुजा पर और तीसरी चोट सिर पर चाकू से मारी। तीनों स्थानों से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। उस समय वहां जगदीश प्रसाद पी0ड0 3 व ग्यारसा पी0ड02 भी आ गये। चोट लगने के बाद रामसिंह की हालत खराब हो गयी थी और पेट से खून निकलने लगा था। ग्यारसा पी0ड0 02 ने अभियुक्त को भागते हुए देखा और जगदीश प्रसाद पी0ड03 ने अभियुक्त को रामसिंह व चिम्मनसिंह के चोटें मारते हुए देखा। ग्यारसा पी0ड02 ने रामसिंह के पेट पर आंकड़े के पत्ते बांध दिये और उसे चारपाई पर लिटा दिया फिर ग्यारसा ने जाकर रामसिंह के घर पर सूचना दी तो उसके घर वाले ट्रैक्टर में डाल कर रामसिंह को रैणी अस्पताल ले गये जहां उसका उपचार प्रारम्भ हुआ लेकिन सुबह उसकी हालत खराब हो जाने से डॉक्टर ने उसे अलवर ले जाने का परामर्श दिया। रामसिंह को दिनांक 11/4/86 को जनरल अस्पताल

अलवर में भर्ती किया जहां उसके पेट का ऑपरेशन किया गया। वह एक डेढ़ माह तक अस्पताल में रहा उसके बाद ठीक हुआ। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 दिनांक 13/4/86 को 6.30 बजे चिम्मनसिंह ने पुलिस थाना राजगढ़ में की। इसपर पुलिस ने मुकदमा रजिस्टर किया और अनुसंधान प्रारम्भ किया। बाद अनुसंधान पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया। तत्पश्चात मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ ने अभियुक्त को सेशन न्यायाधीश, अलवर के समक्ष धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अन्वीक्षा के लिये कमिट किया।

3- विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप लगाया। अभियुक्त ने अपना आरोप अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहान के बयान कराये गये। प्रलेखीय साक्ष्य में कुछ दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियुक्त के कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लिये गये। बयान में अभियुक्त ने सभी तथ्यों को अस्वीकार किया और यह अभिकथन किया कि उसके विरुद्ध यह रिपोर्ट दुश्मनी के कारण लिखायी है। बचाव साक्ष्य में अभियुक्त ने रामपति डी0ड01 का बयान कराया।

4- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान सेशन न्यायाधीश, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 24/3/89 के माध्यम से अभियुक्त को उपरोक्तानुसार सजा से दण्डित किया। इसी आदेश के विरुद्ध अभियुक्त- अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों को सुना एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया।

6- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल जैन ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि इस प्रकरण में अभियोजन साक्षी संख्या 5 डॉ० सुरेशचंद और अभियोजन साक्षी संख्या 7 डॉ० पी.एस.अग्रवाल के कथन चोटों के बारे में विरोधाभासी हैं। उनका कथन है कि यह प्रकरण लगभग 23 वर्ष पुराना है और अपीलार्थी तब से इस प्रकरण में विचारण भुगत रहा है, जो अपने आपमें एक मानसिक संताप है। उनका यह भी कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिन बाद दर्ज करायी है और जिसका अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी 16 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है और उसने इस अवधि के दौरान अपने द्वारा कारित अपराध के प्रति प्रायश्चित्त किया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 में ना आकर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में आता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 व 308 निम्न प्रकार हैं :-

"307. Attempt to murder.- Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to [imprisonment for life], or to such punishment as is hereinbefore mentioned.

Attempts by life convicts.-
[When any person offending under this section is under sentence of [imprisonment for life], he may, if hurt is caused, be punished with death."

"308. Attempt to commit culpable homicide.- Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that, if he by that act caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both; and, if hurt is caused to any person by such act, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both."

अन्त में उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 की बजाय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में परिवर्तित कर, उसे भुगती हुई सजा पर छोड़ दिया जावे।

7- विद्वान लोक अभियोजक श्री पीयूष कुमार एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एच.पी.सिंह ने इसका विरोध किया।

8- दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात, उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, मैं न्याय प्राप्ति के लिये अपीलार्थी को भुगती हुई सजा पर छोड़ना उचित समझता हूं क्योंकि अपीलार्थी का अपराध धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता में कारित किया जाना माना जाता है। अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 की बजाय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में परिवर्तित करना उचित है।

9- परिणामतः यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी भरतलाल की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 की बजाय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 में परिवर्तित किया जाता है तथा उसे भुगती हुई सजा पर छोड़ा जाता है। विचारण न्यायालय का शेष आदेश यथावत रखा जाता है। चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है, अतः उसके

जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। सेशन न्यायाधीश,अलवर के निर्णय दिनांक 24/3/89 को उपरोक्त प्रकार से रुपान्तरित किया जाता है।

(महेशचन्द्र शर्मा)
न्यायाधिपति

/राम/